सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

की

निवेदन समिति

का

प्रथम प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त सहकारिता विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 01/2020 पर प्रतिवेदन ।

(दिनांक 29.03.2022 को सदन में उपस्थापित)।

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1
5. परिशिष्ट	2–4

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री विनोद नारायण झा (32)	स0वि0स0

सदस्यगण

1. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल (150)	स0वि0स0
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20)	स0वि0स0
3. श्री राहुल तिवारी (198)	स0वि0स0
4. श्री बच्चा पाण्डेय (110)	स0वि0स0
5. श्री राम विलास कामत (42)	स0वि0स0
6. श्री अजय कुमार सिंह (166)	स0वि0स0
7. ई0 शशि भूषण सिंह (11)	स0वि0स0
8. श्री छोटे लाल राय (121)	स0वि0स0
9. श्री कुंदन कुमार (146)	स0वि0स0
10. श्री राजीव कुमार सिंह (164)	स0वि0स0
11. श्री श्रीकान्त यादव (113)	स0वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

1. श्री शैलेन्द्र सिंह	सचिव
2. श्री पवन कमार पाण्डेय	संयुक्त सचिव
3. श्री पवन कुमार सिन्हा	उप–सचिव
4. श्री (मो0) शमीम अहमद	अवर–सचिव
5. श्री सुधीर कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्रीमती रूशदा रहमान	प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
8. श्री प्रवीण कुमार	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में सहकारिता विभाग से संबंधित निवेदन पर निवेदन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निवेदन के संबंध में विचार–विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिए समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

विनोद नारायण झा,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन

श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0 वि0 स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 01/2020

मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी, जयनगर एवं खजौली प्रखंड में किसानों द्वारा उत्पादित धान खरीद के लिए अभीतक कोई क्रय केन्द्र की व्यवस्था नहीं की गयी है। धान क्रय नहीं होने से किसान को फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं।

अतः शीघ्र क्रय केन्द्र खोलने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–1)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0 वि0 स0 के उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन में सहमति के उपरांत प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 4757, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। (परिशिष्ट–2)

कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निवेदन का संबंध सहकारिता विभाग से होने के कारण निवेदन संख्या 01/2020 को स्थानांतरित किया गया ।

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक 658, दिनांक 26 फरवरी, 2021 (परिशिष्ट–3) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि मधुबनी जिलान्तर्गत—

(1) बासोपट्टी में कुल 14 समितियों का चयन कर इन्हें क्रियाशील करते हुए अबतक 460 किसानों से 2659.80 मे0 टन धन क्रय कर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया है।

(2) जयनगर में कुल 13 समितियों का चयन कर इन्हें क्रियाशील करते हुए अबतक 400 किसानों से 2165.30 मे0 टन धान क्रय कर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया है।

(3) खजौली में कुल 11 समितियों का चयन कर इन्हें क्रियाशील करते हुए अबतक 290 किसानों से 1811.46 मे0 टन धान क्रय कर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया है ।

समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन ज्ञापांक 658, दिनांक 26 फरवरी, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 01/2020 को कार्यान्वित मान लिया गया ।

परिशिष्ट–1

अरूण शंकर प्रसाद, स0 वि0 स0 से प्राप्त निवदेन संख्या–01/2020

मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी, जयनगर एवं खजौली प्रखंड में किसान द्वारा उत्पादित धान खरीद के लिए अमीतक कोई क्रय केन्द्र की व्यवस्था नहीं की गयी है। धान क्रय नहीं होने से किसान को फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं ।

अतः निवेदन है कि शीघ्र क्रय केन्द्र खोलने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा की जाय ।

परिशिष्ट–2

सं० 2 नि०–01/2020–4757/वि० स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 (ई०)।

विषय – सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 01/2020 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–292 (घ) के अन्तर्गत श्री अरूण शंकर प्रसाद, स० वि० स० द्वारा प्रस्तुत एव सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाय तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रुप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–3

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त निवेदन संख्या 01/2020 का उत्तर सामग्री —

निवेदनकर्ता

मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी, जयनगर एवं खजौली प्रखंड में किसान द्वारा उत्पादित धान खरीद के लिए अभीतक कोई क्रय केन्द्र की व्यवस्था नहीं की गयी है। धान क्रय नहीं होने से किसान को फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं।

अतः निवेदन है कि शीघ्र क्रय केन्द्र खोलने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा की जाय ।

उत्तरदाता

अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत—

(1) बासोपट्टी में कुल 14 समितियों का चयन कर क्रियाशील करते हुए अबतक 460 किसानों से 2659.80 मे0 टन धान क्रय करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया है।

(2) जयनगर में कुल 13 समितियों का चयन कर क्रियाशील करते हुए अबतक 400 किसानों से 2165.30 मे0 टन धान क्रय करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया है ।

(3) खजौली में कुल 11 समितियों का चयन कर क्रियाशील करते हुए अबतक 290 किसानों से 1811.46 मे0 टन धान क्रय करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया है।

बि0 स0 मु0–102 (एल0 ए0)–2021–22–डी0 टी0 पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022